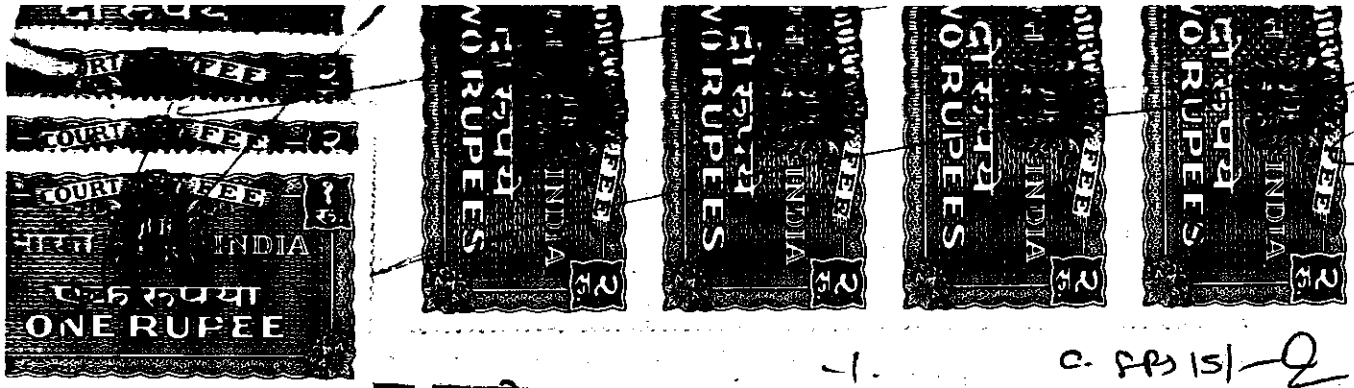

COURT FEE
भारत INDIA
एक रुपया
ONE RUPEE

TWO RUPEES INDIA

TWO RUPEES INDIA

TWO RUPEES INDIA

TWO RUPEES INDIA

67

-1. C. SR 151 -2

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर

R 1135.LR/03

प्रकरण क्रमांक ।2003 निगरानी

1135-III/2003

नथन सिंह पुत्र मालम सिंह,
निवासी ग्राम सौनेरा,तेहसील अशोकनगर,
जिला-गुना ।

------ आवेदक

विरुध्द

मंगल सिंह पुत्र तखत सिंह,
निवासी ग्राम सौनेरा, तेहसील अशोकनगर,
जिला-गुना-म0प्र0 ।

------ अनावेदक

...03....को प्रस्तुत ।
सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

3 0 JUL 2003

30.7.03

निगरानी विरुध्द आज्ञा अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर प्र0क्र0 234।2001-02 निगरानी वउन्वान मंगल सिंह विरुध्द नथन सिंह, तारीखे 04-7-03 अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं विधान के विपरीत होने से तथा फाईन्डिग्स् के परव्हर्स होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को सही प्रकार से नहीं समझा इस कारण निर्णय पारित करने में त्रुटि हुई है व आवेदक न्याय पाने से वंचित रहा है ।

3- यह कि, प्रकरण कुंआ का व्यवस्थापन संबंधी है,अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण प्रकरण समझने में भारी भूल की है ।

XX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 1135-दो/2003 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक आदि के हस्ता०
3.11.2016	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 234/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4-7-2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 376 बी-121/ 1978-79 में पारित आदेश दिनांक 18-5-80 से ग्राम सोनेरा की भूमि सर्वे नंबर 1198 के रकबा 0.52 है. पर स्थित कुआ रकबा 0.10 आरे (आगे जिसे वादग्रस्त कुआ सम्बोधित किया गया है) का व्यवस्थापन तरवर सिंह रघुवॅशी के हित में किया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश की प्रविष्टि खसरा वर्ष 2054 (सन् 1997) में की गई। तदुपरांत तरवर सिंह की मृत्यु उपरांत वर्ष 2054 के वाद के खसरों में कुए पर तरवर सिंह के नाम की प्रविष्टि नहीं हुई। तरवर सिंह के पुत्र मॅगल सिंह ने अपर तहसीलदार अशोकनगर को वर्ष 2000-01 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उक्तांकित कुआ उसके पिता के नाम है इसलिये अब उसके नाम नामान्तरण किया जाय। अपर तहसीलदार वृत्त कचनार ने प्रकरण क्रमांक 267 बी-121/2000-01 पंजीबद्व किया तथा आदेश दि. 23.5.01	

पारित करके वादग्रस्त कुआ मॅगल सिंह के नाम कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध नथन सिंह पुत्र मालम सिंह ने अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी कमांक 110/2000-01 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 9-7-2002 से अपर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 234/ 2001-02 में पारित आदेश दि. 4-7-2003 से निगरानी स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी हैं।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से परिलक्षित है कि यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 376 बी-121/1978-79 में पारित आदेश दिनांक 18-5-80 से वादग्रस्त कुआ व्यवस्थापन तरवर सिंह रघुवॅशी के हित में किया था, किन्तु तरवर सिंह की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त कुआ पुनः शासन के नाम दर्ज हुआ, जैसा कि खसरा वर्ष 2054 (सन् 1997) के वाद के खसरों से प्रमाणित है। प्रकरण में विचार किया जाना है कि क्या कुये पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के अंतर्गत तहसीलदार नामान्तरण आदेश पारित कर सकते हैं। संहिता की धारा 110 के अंतर्गत कुये पर नामान्तरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुआ व्यवस्थापन मध्य प्रदेश शासन व्दारा जारी विभिन्न सरक्यूलर्स के निर्देशों के अनुरूप किया जाता है एंव कुआ व्यवस्थापन की शक्तियॉ तहसीलदार को न होकर अनुविभागीय अधिकारी को हैं जिसके कारण अपर तहसीलदार वृत्त कचनार व्दारा प्रकरण कमांक 267 बी-121/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 23-5-01 विधि एंव प्रकिया के अनुरूप नहीं

होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है तथा नियम एंव प्रकियायों की ओर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनॉक 4-7-2003 पारित करते समय तथा अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा निगरानी में आदेश दिनांक 9-7-2002 पारित करते समय ध्यान न देने की त्रृटि करने से उनके व्दारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 234/2001-02 निगरानीमें पारित आदेश दिनॉक 4-7-2003, अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा निगरानी कमांक 110/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 9-7-2002 तथा अपर तहसीलदार वृत्त कचनार व्दारा प्रकरण कमांक 267 बी-121/ 2000-01 में पारित आदेश दिनांक 23-5-01 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह कुये के सार्वजनिक उपयोग के सम्बन्ध में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त करें तथा उभय पक्ष को श्रवण कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य